प्रेस विज्ञप्ति

24.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने 21.06.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), बेंगलुरु के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत श्रीमती ऐश्वर्या गौड़ा और 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। इससे पहले, निदेशालय ने इस मामले में धन शोधन के अपराध में संलिप्त पाए जाने पर 19.06.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत 3.98 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की थी।

इससे पहले, ईडी ने कर्नाटक के विभिन्न पुलिस थानों द्वारा श्रीमती ऐश्वर्या गौड़ा, उनके पति हरीश केएन और अन्य के खिलाफ आईपीसी/बीएनएसएस की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। ऐश्वर्या गौड़ा, उनके पति हरीश केएन और अन्य ने कई व्यक्तियों को धोखा देने और ठगने के लिए आपराधिक साजिश रची है। उन्होंने उनसे बैंक खातों के माध्यम से सोना, नकदी और धन लिया और उन्हें उच्च दर पर रिटर्न देने का वादा किया। हालांकि, आरोपी ने न तो पैसे लौटाए और न ही वादा किया गया रिटर्न दिया और साथ ही कई हाई प्रोफाइल राजनेताओं से अपनी निकटता का दावा करते हुए मामले को आगे बढ़ाने पर निवेशकों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत सुश्री ऐश्वर्या गौड़ा और उनके सहयोगियों से संबंधित विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान भी चलाया। उक्त तलाशी अभियान के दौरान, चल/अचल संपत्तियों और अन्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से धन शोधन गतिविधियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

आगे की जांच जारी है।